न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 25/19 (वाद)

1. माना पिता कना जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी बोर का कुआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0) .....**वादी**

बनाम्

1. सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0) .....**प्रतिवादी**

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादी।
2. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 26.02.2019

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा मावली, पटवार क्षैत्र मावली की आराजी संख्या 1248 रकबा 15.10 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मुझ वादी के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार खातेदारी हक से दर्ज है। नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश है।
2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी का मौके पर आपसी बंटवाड़ा कर रखा है तथा बंटवाड़े अनुसार मैं वादी अपने हिस्से कब्जे की कृषि भूमि पर अपने परिवारजन सहित शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी मुझ वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नही है। किन्तु प्रतिवादी जबरन मेरे खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के बीच में अनाधिकार रूप से बिजली के खम्भे रोपकर विद्युत लाईन निकालने पर आमादा हो रहा है। जिसकी जानकारी मुझ वादी को होने पर मैने प्रतिवादी को ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादी एवं इसके सहयोगी ने मुझ वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वह मेरी खाते व कब्जे की जमीन में खम्भे रोपकर विद्युत लाईन निकालेगें। जबकि प्रतिवादी को मेरे खाते व कब्जेसुदा जमीन में दखलन्दाजी करने या खम्भे रोपकर बिजली की लाईन निकालने का कोई हक व अधिकार नही है और न ही मेरे खाते व कब्जे की जमीन में खम्भे रोपकर बिजली लाईन निकालने बाबत् कोई सूचना ही दी गयी है। मुझ वादी की खातेदारी एवं कब्जे की उक्त कृषि भूमि के एक छोर पर पहले से ही 11 के0वी0 की लाईन गुजर रही है यदि प्रतिवादी को नई लाईन की आवश्यकता है

तो वह उन्ही पोल पर नई केबल लगाकर उसका संचालन किया जा सकता है या रोड़ के किनारे खाली पड़ी भूमि पर नई लाईन लगाई जा सकती है। लेकिन प्रतिवादी ऐसा न कर मुझ वादी को जानबुझकर नुकसान पहूंचाने की बदयान्ति से मेरी भूमि के बीच में से हाईवोलटेज 11 के0सी0 की नई लाइन का निर्माण कराना चाहता है जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूॅ।

3. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। वादग्रस्त कृषि भूमि का मैं वादी खातेदार काश्तकार हूँ जो मेरे कब्जे अधिकार में होकर मैं वादी उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग निरन्तर निर्बाध रूप से करता आ रहा हूॅ जिसमें प्रतिवादी को मुझ वादी की बिना अनुमति व सहमति के किसी प्रकार से खम्भे रोपने या विद्युत लाईन निकालने का कोई हक व अधिकार नही है। इसके साथ मेरी जमीन के एक छोर पर पहले से ही 11 के.वी. की लाईन गुजर रही है जिस पर प्रतिवादी इस नई लाईन का संचालन कर सकता है या रोड़ के किनारे खाली पड़ी भूमि पर नई लाईन लगाई जा सकती है। लेकिन प्रतिवादी ने नाजायज रूप से मुझ वादी को तंग परेशान करने व जमीन की उपजाऊता को कम करने की नियत से मेरे खाते व कब्जेसुदा भूमि के एकदम मध्य में बिजली के खम्भे रोपने हेतु खड्डे खोदने पर उतारू हो रहा है और हाईवोलटेज की लाईन निकालने पर उतारू है तथा समझाने पर भी नही मान रहा। इसलिए मैं वादी प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादी वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मुझ वादी के कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से खड्डे नही खोदे, बिजली के खम्भे नही रोपे, मुझ वादी को मेरे कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

4. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 28.01.2019 को उत्पन्न हूआ जब प्रतिवादी ने उसके सहयोगीयों की मदद से मुझ वादी के खातेदारी व कब्जे की भूमि में बिजली के खम्भे रोपने के लिये खड्डे खुदवाने पर आमादा हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मुझ वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, न खड्डे खोदे, न बिजली के खम्भे रोपे, न लाईन खिंचे, न कब्जा करे, न मुझ वादी को मेरी खातेदारी की भूमि से बेदखल करे, मुझ वादी को मेरी खातेदारी व कब्जेसुदा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विकल्प में निवेदन है कि दौराने वाद यदि प्रतिवादी जबरन मुझ वादी की खातेदारी व कब्जेसुदा भूमि पर खम्भे रोप देवे, लाईन खिंच देवे या पाये जावें तो उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से प्रतिवादी के खर्चे से हटवाया जावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी ने जो खम्भे रोपकर जो लाईन खींची है उक्त लाईन वादी की कृषि भूमि में नही आती है। जो खम्भे व तार खीचें गये है वह सडक के किनारे लगाये गये है। वादी ने रोड की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जिस पर उसका कोई विधिक अधिकार नही है। उसी पर प्रतिवादी ने खम्भे लगाकर तार खींचे है। प्रतिवादी को यह अधिकार है कि वह वादी की खातेदारी जमीन में भी बिजली के खम्भे रोप तार खींच कर लाईन लगा सकता है जिसके लिये उसे राज्य सरकार द्वारा जो की भूमिधारी है से विशेष अधिकार प्राप्त है तथा खातेदार से किसी भी प्रकार की सहमति लेना आवश्यक नही है परन्तु फिर भी प्रतिवादी ने वादी की कृषि भूमि में खम्भे व तार नही खींचे है वादी के पक्ष में किसी भी तरह का कोई प्रथम दृष्टया वाद कारण उत्पन्न नही होता है जिससे उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रतिवादी किसी भी खातेदारी के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर अपने पोल व विद्युत लाईन खींच सकता है और उसी क्रम में 11 हजार के़.वी. की लाईन भी वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य वाली भूमि में निकल रही है वादी का यह कहना की उसी लाईन से वह नई लाईन का संचालन करता है यह कतई सम्भव नही है क्योंकि दोनों लाईनों का नेचर ऑफ लाईन अलग–अलग है जिससे दोनों लाईनों का संयुक्त संचालन किया जाना सम्भव नही है। उपभोक्ता ने प्रतिवादी के यहां अलग से लाईन खींचने का सम्पूर्ण व्यय जमा करवा दिया है तथा उपभोक्ता का यह अधिकार है

कि वह अलग से विद्युत कनेक्शन ले सकता है ऐसी स्थिति में यह सम्भव नही है कि जो पूर्व में 11 हजार के.वी. की लाईन निकल रही है उसी से उपभोक्ता को कनेक्शन दिया जा सके। मौके पर प्रतिवादी द्वारा विद्युत पोल लगाकर तार भी खींचे जा चुके है वादी कानून को हाथ में लेकर प्रतिवादी को कनेक्शन नही करने दे रहा है। जिससे आर्थिक नुकसान प्रतिवादी को हो रहा है क्योंकि उपभोक्ता ने कॉमर्शियल कनेक्शन की स्वीकृति ले रखी है। प्रतिवादी वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नही कर रहा है बल्कि वादी प्रतिवादी के द्वारा लगाये गये विद्युत खम्भों एवं तारों के साथ छेडछाड कर रहा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है। वादी का वाद पत्र कपट पूर्ण मंशा से विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त करने की कृपा करें।

7. वादी द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबन्दी पेश की।
8. प्रकरण में तहसीलदार मावली से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान् दोनों ही द्वारा प्रकरण में बहस दावा सुने जाने का निवेदन किया।
9. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादी का खारिज किये जाने का निवेदन किया।
10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी के नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज है वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि में विद्युत पोल लगाकर उपभोक्ता को व्यक्तिगत लाभ देने की नियत से नया व्यावसायिक कनेक्शन दिया जाने से तार खींच कर जमीन में दखलन्दाजी कर रहे है जिसे रोकने के लिये वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में तहसीलदार मावली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा वादग्रस्त आराजी में दक्षिण दिशा में विद्युत लाईन के दो पोल 186 व 166 फीट की दूरी पर लगे हुये होना बताया जो सामलाती

खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1248 में है जिसके पास ही एम.डी.आर. सडक है। उक्त रिपोर्ट एवं जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि के वादी खातेदार है प्रतिवादी बिना कोई विधिक कार्यवाही अपनाते हुये विद्युत पोल प्रतिवादी की भूमि में उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने के लिये लगा रहे है। प्रतिवादी द्वारा उपभोक्ता को व्यावसायिक कनेक्शन दिया जाने से पोल लगा तार खींचना चाह रहे है जबकि उक्त आराजी के पास एम.डी.आर. सडक स्थित है जिसके सहारे भी पोल लगाये जा सकते है। व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की नियत से किसी भी काश्तकार को हानि नही पहुंचाई जा सकती है। चूंकि वादग्रस्त आराजी के समीप ही एम.डी.आर. सडक है अतः एम.डी.आर. सडक के किनारे विद्युत पोल लगाने से किसी को ज्यादा नुकसान होने की सम्भावना नही है। उपभोक्ता व्यक्तिगत लाभ के लिये होने वाला व्यय स्वयं वहन करने के लिये उत्तरदायी है। प्रतिवादी जो लाईन खींचना चाह रहा है वह लाईन जन कल्याण की श्रेणी में भी नही आती है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन वाद के पक्ष में साबित होता हो। अतः वादी खातेदार काश्तकार होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। प्रतिवादी सडक किनारे विद्युत पोल लगा तार खींचने के लिये स्वतन्त्र है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मावली, पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1248 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे। वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. माना पिता कना जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी बोर का कुआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0) .....**वादी**

बनाम्

1. सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0) .....**प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 25/19 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मावली, पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1248 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे। वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.02.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली